

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
रायपुर

मुकदमा नम्बर 50/2022

अनवान

प्रार्थी

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार

1. पटवारी हल्का झाला की  
चौकी

जरिये भूमिधारी

जाति..... निवासी.....

तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती


महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी पटवारी हल्का झाला की चौकी निवासी के नाम से ग्राम झाला की चौकी पटवार मंडल झाला की चौकी तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रिगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का झाला की चौकी एवं भू अ.नि. क.गु.जा की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।


जे.पि.व. रायपुर  
674  
07/10/2022

  
तहसीलदार रायपुर  
जिला पाली (राजस्थान)


फर्दमौका

आज दिनांक ..... को ग्राम झाला की चौकी के खसरा संख्या 1929 व 1929/1  
रकबा 0.0162 व 0.0162 किस्म गें. मु. धर्मशाला व गें. खातेदार राजस्थान सरकार व सड़क भूतल परिवहन  
कौम ..... का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार राज्य भारत सरकार  
कब्जा काशत है।

नजरीनक्शा



गलत तरमीम



वर्तमान तरमीम जो गलत है।

प्रस्तावित सही तरमीम

सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न-1. नकल जमाबन्दी  
2. गत नक्शा की प्रति  
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

B Singh  
हस्ताक्षर पटवारी  
पञ्जाला की चौकी

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का झाला की चौकी की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।

[Signature]  
हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक  
B.R. - काठुगा

क्रमांक/२३१/१३१/२०२२/२५६० दि. २९.०९.२२

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशांषा


रिपोर्ट पटवारी हल्का झाला की चौकी जांच भू अ. नि. काठूजा  
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशांषा की जाती है।

  
तहसीलदार रायपुर  
जिला-पाली (राज०)

मुकदमा क्रमांक ५०/२०२२

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशांषा के अनुसार ग्राम झाला की चौकी के खसरा संख्या १९२९ व १९२९/१ रकबा ०.०१६२, ०.०१६२ ई की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर